राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 06/परीक्षा/प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय/EP-I/2016–17 **दिनांक : 24.10.2016**

आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 के अन्तर्गत **प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय (Head Master, Praveshika School)** के पदों पर भर्ती हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई/अस्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :–

No. of Post(s)	U.R.				S.C.				S.T.				O.B.C.				S.B.C.				P.H. (Horizontal)		
	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सा.म.	विधवा	परित्यक्ता	B/LV	HI	LD/CP
42	15	5	1	0	5	1	0	0	4	1	0	0	6	2	0	0	2	0	0	0	1	0	1

नवीनतम जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेब–साईट http://www.rpsc.rajasthan.gov.in का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।

(1) <u>अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :</u>

(a) Second Class in Shastri or an equivalent traditional Sanskrit examination with Sanskrit medium having minimum 48% marks and Shiksha Shastri/Degree or Diploma in education recognised by National council for Teacher Education.

(b) Minimum 5 years' teaching experience as Senior Teacher.

आवश्यक नोट :–

1. आवेदक को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा अपात्र।

2. संस्कृत शिक्षा, माध्य0 शि0 विभाग एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में 5 वर्ष के अध्यापन अनुभव (सक्षम स्तर से प्रति हस्ताक्षरित) को माना जावेगा।

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

आयु सीमा – दिनांक 01.07.2017 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम। | **रनिंग पे–बैण्ड–** रनिंग पे–बैण्ड (15600–39100) ग्रेड पे रू. 5400/–

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं सामान्य वर्ग की महिला		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
4.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है–"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
3	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
4	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
5	रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स एवं शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझे जावेंगे।
6	राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
7	1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

<u>नोट</u> –

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) शासन से प्राप्त वर्गवार वर्गीकरण में किसी वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं होने पर भी ऊपरी आयु सीमा में अभ्यर्थी को उसके वर्ग हेतु देय अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।

(3) प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका विद्यालय के पद आयोग द्वारा वर्ष 2004–05 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत् आयु की गणना दिनांक 01.07.2005 को की गई थी। *तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था।* अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी **दिनांक 01.07.2017** को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **तीन वर्ष की छूट** देय होगी।

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा राज0 राज्य के सभी जिला/संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित होने की संभावना है, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र घोषित की जाएगी। परीक्षा स्थान में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है। परीक्षा हेतु केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है।
आवेदन अवधि	**दिनांक** **28–10–2016** **से दिनांक** **23–11–2016** रात्रि **12–00** बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	**1. ई–मित्र केन्द्रों एवं ई–मित्र पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग सुविधा से परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम दिनांक 21.11.2016 होगी एवं ऑन–लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक 23.11.2016 होगी।** **2. अभ्यर्थियों द्वारा नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क आयोग की वेबसाईट से ई–ग्रास भुगतान के माध्यम का चयन कर जमा कराई जा सकेगी एवं उक्त सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी।** **3. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु सीधे ही ई–ग्रास की वेबसाईट पर नहीं जावें।** **4. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।**
आवेदन पत्र में ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन **दिनांक** **24–11–2016** **से दिनांक** **08–12–2016** रात्रि **12–00** बजे तक।

विशेष नोट :–

(1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(2) आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 15 दिवस की ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

Scheme and Syllabus of competitive examination for the post of Head Master, Praveshika School

1. The competitive examination shall carry 600 marks.
2. There will be two Papers. Both the Papers shall be of 300 marks each. Duration of both Papers shall be 3 hours each.
3. All the questions in both the Papers shall be multiple choice type questions.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer, one-third of marks prescribed for that particular question can be deducated.
   Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
5. Subjects included in both papers and the marks given to them are shown in the tables below.

Paper-I General Studies
Duration: 3 hours

S.No.	Subject	Number of questions	Total marks
1.	Rajasthan, Indian and World History with special emphasis on Rajasthan culture and Indian National Movement.	40	80
2.	Indian Polity, Indian Economics with special emphasis on Rajasthan.	40	80
3.	Use of computers and information technology in teaching	15	30
4.	Rajasthan, India, World Geography.	30	60
5.	General Science	25	50
	Total	**150**	**300**

Paper-II General awareness about education and educational administration
Duration: 3 hours

S.No.	Subject	Number of questions	Total marks
1.	Mental Abilty Test	24	48
2.	Statistics (Praveshika level), Mathematics (Praveshika level)	24	48
3.	Educational Psychology, Pedagogy, Educational Management at School level, Educational scenario in Rajasthan	30	60
4.	Right of Children to Free and Compulsory Education Act,2009, Rajasthan Service Rules, CCA Rules, GF&AR.	24	48
5.	Current Affairs	24	48
6.	Language ability test: Hindi, English	24	48
	Total	**150**	**300**

विशेष सूचना :– ''यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 15 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।''

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **http://rpsc.rajasthan.gov.in/applyonline** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव